


पाठानुसार दिनांक 15-10-24 को पेश हो।

15-10-24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं अभिभाषक वादीगण अनुपस्थित। तीन बार रक-रक कर आवाज लगायी गयी, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना, अदम हाजरी, अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली कंसल नुमाँर होकर नम्बर से कम होकर वाद तामील तकमील दाखिल दफतर है।



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

